

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2024- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि.....(अ).-एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (xxv) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है: यथा:-

1. (i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 10ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10ठ	अध्याय 99	भारत में किसी विदेशी कंपनी के प्रतिष्ठान द्वारा, जो एयरलाइन कंपनी है, किसी संबंधित व्यक्ति से या भारत के बाहर उसके किसी अन्य प्रतिष्ठान से सेवाओं का आयात, जब बिना किसी प्रतिफल के किया जाता है। <i>स्पष्टीकरण: विदेशी कंपनी का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (42) में दिया गया है।</i>	शून्य	बशर्ते कि भारत में विदेशी एयरलाइन कंपनी की स्थापना द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन पर लागू दरों पर जीएसटी का भुगतान किया जाता है।

			बशर्ते कि भारत में विदेशी कंपनी की स्थापना एक नामित एयर कैरियर/एयरलाइन कंपनी की हो, जिसे विदेशी सरकार द्वारा भारत के साथ लागू द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के तहत नामित किया गया हो । बशर्ते कि पारस्परिक आधार पर, नामित भारतीय वाहक, विदेशी एयर कैरियर/एयरलाइन कंपनी को नामित करने वाले देश की सरकार द्वारा प्रविष्टि के अंतर्गत आने वाली समान सेवाओं के लिए कर लगाने के अधीन नहीं होंगे। "
--	--	--	---

(ख) क्रम संख्या 26 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26क	शीर्षक 9969	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण	शून्य	शून्य"

	या शीर्षक 9986	करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।		
--	----------------------	--	--	--

(ग) क्रम संख्या 46 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"46क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।"

(घ) क्रम संख्या 69 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी	शून्य	शून्य"

		भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।		
--	--	---	--	--

(ड) क्रम संख्या 72 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"72	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या	शून्य	शून्य"

		(ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो		
--	--	---	--	--

(च) क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(क) मद (ज) में,

(क) उप-मद (i) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 190354/149/2024-टीओ-(टीआरयू-।।)-पार्ट-। सीबीईसी]

(दिलमिल सिंह सोच)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्या 684 (ई), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और

इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024- एकीकृत कर (दर), दिनांक 12 जुलाई, 2024 को सरकारी राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 389 (ई), दिनांक 12 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।